न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—104/12 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बालुराम आत्मज शंकरलाल महाजन (लाठी) निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नर्बदादेवी बेवा शंकरलाल महाजन (लाठी) निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1 कंचनदेवी बेवा हीरालाल सुथार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शिवलाल आत्मज नानालाल महाजन (कोठारी) निवासी नाहरी हाल प्लाट न. 2, कालाजी गोराजी मन्दिर के पास , उदयपुर राज.
3—रामकन्या देवी पत्नि नानालाल महाजन (कोठारी) निवासी नाहरी हाल प्लाट न. 2, कालाजी गोराजी मन्दिर के पास , उदयपुर राज.
4—तेजपाल आत्मज रामनाथ महाजन (कोठारी) निवासी नाहरी हाल—31/153 जी.वी.आर. नेशनल हाईवे नम्बर 8 सेक्टर न. 14, उदयपुर राज.
5—पुष्पादेवी पुत्री रामनाथ महाजन (कोठारी) पत्नि भरतकुमार महाजन (समदानी) निवासी नाहरी हाल—एफ 244, विजयसिंह पथिक नगर भारद्वाज अस्पताल के पिछे भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6—भगवतीलाल आत्मज बदरीलाल महाजन (कोठारी) निवासी नाहरी हाल सी 16 हरभोलेनाथ सोसायटी, नेशनल हाईवे के पास, ओढन, अहमदाबाद
7—शंकरदास आत्मज भुरदास वैष्णव निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1.—महेश दाद्दीच — *अधिवक्ता प्रार्थी*
2.—पी.एस.चुण्डावत, हरीश टेलर, जाकिर हुसैन— अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 09.05.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य के खाता संख्या 333 में अन्य आराजियात के साथ आ.स. 1965 रकबा 0.27 हैक्ट. आ.स. 1966 रकबा 0.19 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 स्थित होकर उक्त दोनो आराजियात की सिंचाई चाह नम्बर 1948 से होती हैं। उक्त चाह में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा हैं। समर्थन में नक्शा ट्रेस की प्रति एवं जमाबन्दी की प्रति संवत 2066 से 2069 तक साथ प्रस्तुत है। चरण कम 1 में अकिंत आराजियात की पीलाई का धोरा आराजी संख्या 1950 जो प्रार्थीगण के संयुक्त चाह के दक्षिणी और हैं उतरी पाली पास पास होकर प्रार्थीगण की आराजियात में जाता उक्त आराजियात नम्बर 1950 पर्व में जगदीश चन्द्र आत्मज नाहरमल व मांगीलाल आत्मज नन्दराम महाजन निवासी आशाहोली के खातेदारी अधिकार की थी जिसे अभी चार माह पूर्व विपक्षीया कम 1 ने कय कर ली हैं तथा उसको कय करने बाद उसने नक्सा ट्रेस में दिखाई ... .डॉट लाईन के अनुसार प्रार्थीगण के धोरे को मिस्मार कर दिया तथा प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन का मार्ग 14—15 फीट था के थोहर काट रास्ते को अवरूद्व कर दिया जिसकी पुष्टि छायाचित्र से होती हैं। जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थीगण का तथा कथित रास्ता विपक्षीया कम 1 व विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 6 के आराजी के मध्य सदैव आता जाता रहा हैं। प्रार्थीगण पूर्व में भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग निर्बाद रूप से करते चले आ थे, अभी भी उक्त आराजियात में गेहु की फलस बो रखी हैं, जिसे प्रार्थीगण ने दुसरे पड़ोसियो की खाली जमीन को मांग

अपनी फसल निकाली हैं। विपक्षीया कम एक हर सुरत में अपनी आराजी से प्रार्थीगण को रास्ता नही देना चाहती हैं तथा उक्त रास्ते का विवाद का आपसी से सहमति से से किसी तरह का कोई हल निकट भविष्य में निकलता नही दिखता। सब विवश होकर प्रार्थीगण को आपके न्यायालय में आना पड़ा हैं। प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त वर्णित आराजियात में आवागमन करने का उनके पास किसी तरह का कोई वैल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं वरन उक्त रास्ता जो प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर आने जाने व फसल लाभ लेने हेतु 16 फीट चोड़ाई का रास्ता विपक्षीया कम 1 व विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 4 की आराजी संख्या 1949 व 1950 के मध्य दिया जाना नितान्त न्यायानुकुल हैं। प्रार्थीगण की उक्त रास्ता जिसका विवेचन प्रार्थना पत्र के चरण कम 4 में किया गया है कि अत्यंत आवश्यकता हैं और केवल प्रार्थीगण की जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये कतई आवश्यकता नही हैं बिना उक्त रास्ते के प्रार्थीगण सर्वदा के लिये अपनी आराजियात संख्या 1965 व 1966 का उपयोग करने से वछिंत हो जायेगें। सुविधा के लिये तथा कथित मार्ग को प्रार्थीगण को आवश्यकता नही हैं बल्कि उक्त मार्ग उनके लिये आवश्यकता का मार्ग हैं। जिसके अभाव में अपनी जोत का उपयोग उपभोग करने से वछिंत हो जायेंगें। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1949 व 1950 जो कमशः विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 6 व विपक्षी संख्या 1 की है के मध्य में दोनो और से 8–8 फीट का आवागमन का रास्ता दिलाने बाबात् आदेश प्रदान कराया जावें। साथ ही आराजी संख्या 1950 में जमीन की सतह से 3 फीट नाचे तक पाईप लाईन बिछाने की स्वीकृति भी प्रदान कराई जावें। आराजी संख्या 1949 व 1950 की रास्ते में आने वाली भुमि का जिला स्तरीय कमेटी के निर्देशानुसार अथवा श्रीमान के विवेकानुसार जो भी वास्तविक भूमि का मुल्य होगा उसे देने में प्रार्थीगण तत्पर रहेंगें। आराजी संख्या 1949 के वास्तविक अभिलिखित खातेदारान विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 6 है किन्तु उनमें से विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता व पति जिनका कि स्वर्गवास हो चुका हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में उनके उतराधिकारियो के नाम का अंकन नही हुआ हैं तथा रिकार्ड में अभी भी मृतक विपक्षीगण का नाम अकिंत होने से पूर्व के प्रार्थना पत्र कमांक : 55/2012 मु0रे0 प्रार्थना पत्र में वे ही नाम लिखकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था उक्त दोष को निवारण किये जानें हेतु न्यायालय द्वारा पुर्वानुमति अनुसार यह नया प्रार्थना पत्र उन मृतक विपक्षीगणो के बजाय उनके विधिक उतराधिकारियो नामोनुसार प्रस्तुत किया जा रहा हैं परन्तु वर्तमान में उक्त आराजी पर भौतिक आधिपत्य सिजारी के रूप में विपक्षी संख्या 7 का होन से इस उपकम पर पक्षकार संयोजित किया जा रहा हैं। विपक्षीया संख्या 1 ने आराजी संख्या 1950 को सन् 2011 में कय की तथा 10 मार्च 2012 में उसने प्रार्थीगण के तथा कथित आवागमन के मार्ग को अवरूद्व कर दिया, इस पर प्रार्थी संख्या 1 ने तहसीलदार के यहा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.03.2012 को स्थल निरिक्षण किया जाकर तत्कालीन नायब तहसीलदार साहब ने एक मौका पर्चा बनाया जो इस पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थीगण को उनका रास्ता उपलब्ध न होने पर विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही करने को विवश होना पड़ा हैं। और यह प्रार्थनापत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.07.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की और से अधिकार पत्र पर्वतसिंह अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 2, 3 व 7 की और से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 4, 5, 6 की और से अधिकार पत्र हरिश टेलर का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। विपक्षीया सख्या एक कंचनदेवी सुथार तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है जो सामिल पत्रावली किया गया तथा प्रार्थीगण की और से मनोहरसिंह पिता भूरसिहं रावणा राजपुत निवासी नाहरी शंकरलाल पिता कन्हैयालाल लाठी निवासी नाहरी बालुराम पिता शंकरलाल महाजन निवासी नाहरी द्वारा शपथ पत्र पर बयान पेश किये जिसकी प्रति विपक्षीगण के अधिवक्ता को दिलायी जाकर शामिल पत्रावली की गई प्रार्थी गण के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजो की सूची के साथ मौका पर्चा दिनांक 18.09.2012 तहसीलदार रायपुर द्वारा धारा 251 आरटीए में निर्णय दिनांक 18.10.2012 तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2012 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 82/12 की अपील के निर्णण की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई तहसीलदार रायपुर के प्रकरण संख्या 1/2012 निर्णय दिनांक 18.10.2012 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया है। तथा रास्ता खोलने के आदेश दिये गये है जिसकी अपील श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा की यहा प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 82/2012 निर्णय दिनांक 15.02.2013 में तहसीलदार

रायपुर के प्रकरण संख्या 1/12 निर्णय दिनांक 18.10.12 के क्रम में सार एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.12 यथावथ रखा गया है।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा मामला रास्ते संबधित होने से मैने यह पाया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1965 व 1966 में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता बना हुआ नही है तथा मौके पर रास्ता बन्द है प्रार्थीगण के बताये अनुसार विवादित रास्ता बन्द है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1965 व 1966 में किधर से भी आया जाया नही जा रहा है अर्थात आवागमन करने हेतु तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से एवं रिपोर्ट अनुसार विपक्षीया संख्या 1 की आराजी संख्या 1950 मे जमीन स्तह से नीचे पाईप लाईन बिछाने तथा खातेदार कंचनदेवी पत्नि हीरालाल सुथार की आराजी संख्या 1950 रकबा 0.30 हैक्ट. मे से 60*2 मीटर अर्थात 120 वर्गमीटर तथा खातेदार शिवराज पिता नानालाल, रामकन्या बेवा नानालाल एवं तेजपाल पिता रामनाथ पुष्पा पुत्री रामनाथ, भगवतीलाल पिता बद्रीलाल महाजन सा. टाटगढ़ जिला अजमेर खातेदार की आराजी संख्या 1949 रकबा 0. 20 हैक्ट. मे से 60*2 मीटर अर्थात 120 वर्गमीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि में रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम नाहरी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1965 व 1966 भूमियो में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से एवं रिपोर्ट अनुसार विपक्षीया संख्या 1 की आराजी संख्या 1950 मे जमीन स्तह से नीचे पाईप लाईन बिछाने तथा खातेदार कंचनदेवी पत्नि हीरालाल सुथार की आराजी संख्या 1950 रकबा 0.30 हैक्ट. मे से 60*2 मीटर अर्थात 120 वर्गमीटर तथा खातेदार शिवराज पिता नानालाल, रामकन्या बेवा नानालाल एवं तेजपाल पिता रामनाथ पुष्पा पुत्री रामनाथ, भगवतीलाल पिता बद्रीलाल महाजन सा. टाटगढ़ जिला अजमेर खातेदार की आराजी संख्या 1949 रकबा 0. 20 हैक्ट. मे से 60*2 मीटर अर्थात 120 वर्गमीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 157300 रू. प्रति बिघा है तथा कुल 240 वर्गमीटर भूमि का 17470 रू. का दुगुना 34940 रू. का भुगतान विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर रास्ता बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा